पत्रांक–7/जाति 019–08/04 का......355/

149.

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

श्री मुखत्यार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड, रांची।

रांची, दिनांक 19 जनवरी, 2006

विषय : लोहरा जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि झारखण्ड राज्य अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति की सूची के क्रमांक 21 पर लोहरा जाति अंकित है। जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में हो रही कठिनाईयों को देखते हुए सभी संबंधित पदाधिकारियों को विभागीय पत्रांक 3540 दिनांक 03.07.2004 द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिया गया है। उक्त निर्देश में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि मात्र 1932 के खतियान को आधार मानकर ही जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना है।

ऐसे व्यक्ति जो वास्तव में लोहरा जनजाति के हैं, उनके संबंध में पूर्ण तथ्यों की जानकारी के बिना केवल खतियान के आधार पर जाति प्रमाण पत्र निर्गत करना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता है।

उक्त संदर्भ में झारखण्ड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, मोरहाबादी, रांची द्वारा लोहरा एवं लोहारा, लोहरा जाति में अन्तर दर्शाते हुए प्रतिवेदन समर्पित किया है, जिस पर कल्याण विभाग, झारखण्ड, रांची ने अपनी सहमति व्यक्त की है। लोहार एवं लोहारा, लोहरा में जो अन्तर दर्शाये गये हैं, वो निम्न प्रकार है :–

	लोहार	लोहारा, लोहरा
1	लोहार जाति भगवान विश्वकर्मा या ऋषि मुनियों का संतान मानते हैं तथा इनका आगमन दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार में हुआ है, जो पिछड़ी जाति एनेक्सर II के सदस्य मानते हैं।	लोहारा, लोहरा की उत्पति असुर जनजाति से हुई है तथा इनका आगमन मध्य प्रदेश के सरगुजा जिला से हुआ है लेकिन इनके 1930–32 के अधिकांश खतियान में जाति/कौम लोहार दर्ज है।
2	लोहार जाति का गोत्र ऋषि मुनियों के नाम पर आधारित है तथा सहगोत्रीय विवाह की प्रथा है लेकिन एक ही मूल/कुरी में विवाह करना वर्जित है।	लोहारा, लोहरा (अनुसूचित जनजाति) का गोत्र पेड़–पौधे, पशु–पक्षी, जीव जन्तु एवं भौतिक पदार्थों के नाम पर आधारित हैं, जिनका मुख्य गोत्र निम्नांकित है :– (1) तिर्की (काग) (2) इन्दवार

148

		(3) सोन तिर्की, (4) कच्छप (5) केरकेट्टा (6) कैथा (7) कुजूर (8) मिंज (9) खाखा (10) नागवार (11) बाघवार (12) सिकवार (13) टोप्पो (14) एक्का (15) बरवा एवं (16) बिलुंग आदि। इस समाज में सहगोत्रीय विवाह या गोत्र पर आधारित चीजों की हानि करना अपराध माना जाता है।
3	लोहार समाज में छठी, नामकरण, विवाह एवं मरण संस्कार के अवसर पर ब्राह्मण, नाई एवं धोबी का सहयोग प्राप्त है।	लोहारा, लोहार समाज में छठी, नामकरण, कर्ण छेदन, विवाह एवं मरण संस्कार जनजातीय परम्परा के अनुसार पाहन के द्वारा किया जाता है।
4	लोहार समाज में तिलक प्रथा है कन्या मूल्य नहीं है तथा विधवा या देवर भाभी विवाह की प्रथा भी नहीं के बराबर है।	आधुनिक परिवेश में लोहारा, लोहरा समाज में आंशिक रूप में तिलक प्रथा शुरू हो गया है लेकिन कन्या मूल्य के रूप में कपड़ा देने की प्रथा है। इस समाज द्वारा विधवा एवं देवर भाभी विवाह के कई उदाहरण दिये गये हैं।
5	लोहार समाज का वर्तमान समय में पेशा लोहारगिरी, बढ़ईगिरी, मोटर गैरेज, मोटर पार्ट्स की दुकान एवं सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवा भी है।	लोहारा, लोहरा समाज का पेशा मृत मवेशी का चमड़ा निकालना तथा उससे वाद्य यंत्र बनाना, बजाना एवं दैनिक मजदूरी करना है।
6	लोहार समाज में किसी से संपर्क में संकोचन की भावना, छुआछूत और सामाजिक सतर पर दूरी नहीं है।	लोहारा, लोहरा समाज में गैर जनजातीय सदस्यों से सम्पर्क में संकोचन की भावना है तथा जनजातीय समुदाय द्वारा भी छुआछूत की भावना रखा जाता है अर्थात जनजातीय समुदाय द्वारा भी सामाजिक स्तर पर दूरी रहता है।

अतः अनुरोध है कि लोहार एवं लोहरा जाति में उक्त पाये जाने वाले अंतरों को भी ध्यान में रखा जाय, तत्पश्चात उक्त बिन्दुओं की जांच कर जांचोपरान्त अपने स्तर से संतुष्ट होकर लोहरा जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु यथोचित कार्रवाई करने का कष्ट किया जाय।

विश्वासभाजन,

(मुखत्यार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।